1

नकल आदेश दि० 29-6-13 व उनवान मु० नं०-250 अन्तर्गत धारा 143 ग्राम कुड़वार पर० मीरानपुर दयाराम यादव बनाम सरकार न्या० S.D.O.(J) तारीख 26-6-13 कोड नं० 1709

नकल [illegible]

वाद सं0 - 250

अन्तर्गत धारा 143 ज0वि0अ0
ग्राम कुडवार परगना मीरानपुर
तहसील सदर जिला सुलतानपुर
उ0प्र0 राज्य

दयाराम यादव

बनाम

निर्णय

प्रस्तुत वाद दयाराम यादव सुत वद्री प्रसाद यादव प्रबन्धक धर्मा देवी वद्री प्रसाद स्मारक महाविद्यालय कुडवार सुलतानपुर निवासी ग्राम कुडवार परगना मीरानपुर तहसील सदर जिला सुलतानपुर ने गाटा सं0 2763/2.0220 में से 1.0120 हे0 स्थित ग्राम कुडवार परगना मीरानपुर तहसील सदर जिला सुलतानपुर के सम्बन्ध में धारा 143 ज0वि0अ0 के अन्तर्गत योजित करते हुए अकृषिक/आबादी प्रख्यापित किये जाने की याचना किया है। पत्रावली स्थलीय आख्या हेतु तहसील भेजी गयी। तहसील से विस्तृत एवं नियम 135 ज0वि0अ0 के प्रारूप पर आख्या संलग्न पत्रावली है। तहसील आख्या में अपर तहसीलदार(न्यायिक) सदर सुलतानपुर ने यह दर्शाया है कि वाद भूमि धर्मा देवी वद्री प्रसाद स्मारक महाविद्यालय कुडवार सुलतानपुर के नाम संक्रमणीय भूमिधर अंकित है। वाद भूमि गाटा सं0 2763/2.022 के 1.0120 हे0 को धर्मा देवी वद्री प्रसाद स्मारक महाविद्यालय कुडवार द्वारा दिनांक 15.2.2010 को बैनामा लेकर महाविद्यालय स्थपित किया गया है। क्षेत्रफल 0.563 हे0 पर विद्यालय भवन है शेष भूमि 0.449 हे0 विद्यालय के उपयोगार्थ मे है। वाद भूमि पर कृषि कार्य नही होता है। अकृषिक प्रयोग में लाया जा रहा है। अकृषिक/आबादी प्रख्यापित किये जाने की आख्या प्रेषित किया है। जिसे तहसीलदार ने दिनांक 26.6.2013 को प्रेषित किया है।

मैने पत्रावली में उपलब्ध तहसील आख्या, उद्धरण खतौनी सन 1418–1423 फ0 की खाता सं0 792 ग्राम कुडवार, विकय पत्र की छायाप्रति एवं खाते के सह खातेदार के सहमति पत्र का विधिवत अवलोकन एवं परीक्षण किया तथा वादी को सुना। पत्रावली में उपलब्ध उद्धरण खतौनी को देखने से स्पष्ट है कि वाद भूमि गाटा सं0 2763/2.022 के 1.0120 हे0 को धर्मा देवी वद्री प्रसाद स्मारक महाविद्यालय कुडवार द्वारा दिनांक 15.2.2010 को बैनामा लेकर महाविद्यालय स्थपित किया गया है। क्षेत्रफल 0.563 हे0 पर विद्यालय भवन है शेष भूमि 0.449 हे0 विद्यालय के उपयोगार्थ मे है। जिसमें कृषि कार्य नही किया जाता है। खाते के अन्य सह खातेदार के सहमति पत्र को देखने से स्पष्ट है कि वादी के अंश को अकृषिक/आबादी प्रख्यापित किये जाने में उन्हे कोई आपत्ति नही है। अतः वाद भूमि को अकृषिक/आवादी प्रख्यापित किये जाने में कोई विधिक बाधा नही प्रतीत होती है।

आदेश

उपरोक्त तथ्यों एवं विवेचन के आलोक में आदेश किया जाता है कि उद्धरण खतौनी सन 1418–1423 फ0 के खाता सं0 792 की गाटा सं0 2763/1.0120 हे0 स्थित ग्राम कुडवार परगना मीरानपुर तहसील सदर जिला सुलतानपुर को अकृषिक/आबादी प्रख्यापित किया जाता है। तद्नुसार अभिलेखों में अंकित हो। वाद भूमि भू–राजस्व से मुक्त हो। आदेश की प्रति उप निबन्धक सदर को भेजी जाए। बाद परवाना अमलदरामद पत्रावली अभिलेखागार संचित हो।

दिनांक–

29/6/13

(डा0एस0एन0सिंह)
उप जिलाधिकारी सदर,
सुलतानपुर।

30/6/13

30/6/13

160

40935

19-7-19

19-7-19